[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 7/2017- एकीकृत **कर**

नई दिल्ली, तारीख 14 सितंबर, 2017

सा.का.नि. .... (अ)–केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सेवाओं के अंतरराज्यिक प्रदाय करने में लगे हुए छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकारो को, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :

परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को लागू नहीं होगी–

(क) जो उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है या जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुना है ;

(ख) जो केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपाबंध में क्रम संख्या 151 के सामने उल्लिखित माल के संबंध में सेवाओं के प्रदाय में अंतरवर्लित है ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार